

फर्द अहकाम

नाथी देवी वगैरे

बनाम

राजस्थान सरकार

यालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

न सं० / 2025

सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	09.09.2025	अधिवक्ता श्री अशोक कुमावत द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि0एडी0 नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.09.2025 को पेश हो।	
	29-9-25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 12/10/25 को पेश हो	
	13-10-25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अवकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/10/25 को पेश हो।	
	15-10-25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थीगण श्री भाज न्यायालय में प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार भावापे लगवायी गयी। भावपूद भावापे लगवाने के उपरांत भी प्रार्थीगण के न्यायालय में शपथ नहीं मानने के कारण पत्रावली अन्तर्गत धारा-3 सि.प्र.स-3 प.1.री. के तहत न्याय दायरी व न्याय पेशी में शपथ की गयी। पत्रावली प्रो.सल कुमार दीकर नवांर के कम दीकर शखिस दफ्तर ही।	

Nelu  
उपखण्ड अधिकारी  
जोबनेर, जयपुर